

विभाग का नाम— समाज कल्याण विभाग।

आउट कम बजट प्रारूप 2017-18

केन्द्रपोषित योजनायें—

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत				
1.	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास की योजना (100प्रतिशत के0स0)	पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता प्रदान करना।	1000.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में पिछड़ी जाति के निर्धन 75000 छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता देकर लाभान्वित किया जायेगा।	शैक्षणिक सत्र	पिछड़े वर्ग के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रोजगार प्राप्त करेंगे। पिछले वर्ष की अपेक्षा 10 प्रतिशत अधिक छात्रों को योजना से लाभान्वित किया जायेगा।	शैक्षणिक सत्र
2.	निःशक्तजन अधिनियम 1956 का क्रियान्वयन (100 प्रतिशत के0स0)	निःशक्तजनों को सार्वजनिक स्थलों में बैरियर फ्री आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना।	11.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में दो रैम्पों का निर्माण किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	निर्मित रैम्पों से निःशक्तजनों को सार्वजनिक स्थलों में आने जाने में सुविधा होगी।	वित्तीय वर्ष
3.	स्मेकित बाल संरक्षण योजना (100 प्रतिशत के0स0)	स्मेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के मानकों के अनुसार प्रोबेशन सेक्टर के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं का क्रियान्वन एवं अनुश्रवण किया जायेगा।	800.00	—	स्मेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड, बाल समिति, संरक्षण गृह का संचालन किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	स्मेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुसार बालकों को संरक्षण एवं मार्गदर्शन देकर समाज की मुख्यधारा से मिलाया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
4.	ट्रान्सजेण्डर समुदाय के उत्थान के लिये अम्ब्रैला योजना (100 प्रतिशत के0स0)	ट्रान्सजेण्डर समुदाय को शिक्षित एवं रोजगार उपलब्ध कराकर समाज की मुख्य धारा से जोडा जाना।	10.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 50 ट्रान्सजेण्डरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।	वित्तीय वर्ष	योजनान्तर्गत ट्रान्सजेण्डर समुदाय को लाभान्वित कर समाज की मुख्यधारा से जोडा जायेगा।	वित्तीय वर्ष
5.	डा0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत के0स0)	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता देकर उच्च शिक्षा प्रदान करना।	500.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3000 छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता दिये जाने का लक्ष्य है।	वित्तीय वर्ष	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।	वित्तीय वर्ष
6.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (100प्रतिशत के0स0)	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत बी0पी0एल0 निराश्रित वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं एवं दिव्यांगों को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	10500.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में बी0पी0एल0 298000 निराश्रित वृद्धजन, 20000 निराश्रित विधवाओं 3500 दिव्यांगों को पेंशन की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	निराश्रित वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं एवं दिव्यांगों को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी जिससे उनका भरण-पोषण हो सकेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 15 प्रतिशत अधिक पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
7.	जिला मुख्यालयों में अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास का निर्माण (50 प्रतिशत के0स0)	पिछड़े वर्गों के सूदूरवर्ती क्षेत्रों से जिला मुख्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आये निर्धन छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।	—	50.00	वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला मुख्यालय टिहरी में छात्रावास का निर्माण किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।	वित्तीय वर्ष
8.	समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत ग्रहों का निर्माण (100 प्रतिशत के0स0)	समेकित बाल संरक्षण में दिये गये प्राविधानों के अनुसार बालकों संरक्षण दिये जाने हेतु गृह का निर्माण।	—	100.00	देहरादून में भवन का निर्माण किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	निर्मित भवन में समेकित बाल संरक्षण में दिये गये प्राविधानों के अनुसार बालकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।	वित्तीय वर्ष
9.	अनुसूचित जाति के विकास की योजना (100 प्रतिशत के0स0)	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता देकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना।	12030.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त कर 130500 छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।	शैक्षणिक सत्र	छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे जिससे उनका आर्थिक स्तर बेहतर हो सके। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5 प्रतिशत अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।	शैक्षणिक सत्र
10.	अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता (100 प्रतिशत के0स0)	अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों को स्वतःरोजगार के लिये मार्जिन मनी की धनराशि उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।	500.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 500 व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।	वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा जिससे उनके आर्थिक स्तर पर सुधार होगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के सापेक्ष 10 प्रतिशत अधिक व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध करायी जायेगी।	वित्तीय वर्ष
11.	बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास का निर्माण (100 प्रतिशत के0स0)	अनुसूचित जाति के सूदूरवर्ती क्षेत्रों से जिला मुख्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आये निर्धन छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।	—	50.00	जनपद अल्मोडा एवं देहरादून में अनुसूचित जाति के बालिकाओं हेतु छात्रावास का निर्माण किया जायेगा।	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों की बालिकायें आवासीय सुविधा प्राप्त कर उच्च शिक्षा ग्रहण करेगी। जिससे रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनेंगी।	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत संचालित योजनायें –

(धनराशि रु.लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
1.	मुख्यालय एवं मण्डलीय अधिष्ठान	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद स्तरीय इकाईयों को आवश्यक निर्देश दिये जाने हेतु अधिष्ठान की स्थापना।	311.82	—	निदेशालय स्तर पर कार्यरत 7 अधिकारियों एवं 35 कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि का भुगतान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जिससे विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से निर्धन वर्गों को अधिकतम लाभ पहुँचाया जा सकेगा।	वित्तीय वर्ष
2.	जिला कार्यालयों का अधिष्ठान	जनपद स्तर पर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, सम्पादन एवं अनुश्रवण हेतु अधिष्ठान की स्थापना	1253.40	—	कार्यरत 20 अधिकारियों एवं 217 कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि का भुगतान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	जनपद स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों दिया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
3.	आई0टी0सैल की स्थापना	सभी पात्र लाभार्थियों को आन लाईन आवेदन करने तथा आनलाईन ही धनराशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु आई0टी0सैल के अधिष्ठान	79.70	—	अधिष्ठान में कार्यरत 2 अधिकारियों एवं 10 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजनायें आन लाईन होने से सभी पात्र व्यक्तियों को सुविधजनक एवं पारदर्शिता से योजना का लाभ प्राप्त होगा।	वित्तीय वर्ष
4.	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को आर्थिक सहायता	अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को किये जाने हेतु आर्थिक सहायता	25.00	—	स्टाफ के वेतन भत्तों का भुगतान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	निगम द्वारा संचालित योजनाओं का अनुश्रवण एवं पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
5.	उत्तरांचल अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का अधिष्ठान	पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु आयोग की स्थापना	86.00	—	आयोग में नामित मा0 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों के मानदेय तथा कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	आयोग द्वारा पिछड़ी जाति के विकास हेतु सर्वेक्षण एवं इनके उत्थान हेतु कार्य किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति	पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता देकर उनके शैक्षणिक स्तर उँचा करने तथा उन्हें उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करना।	1000.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में पिछड़ी जाति के निर्धन 25000 छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता का भुगतान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे जिससे उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वित्तीय वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5 प्रतिशत अधिक छात्रों को लाभान्वित किया जा सकेगा।	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

कं. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत				
7.	पिछडी जाति के पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को निर्धनता के आधार पर छात्रवृत्ति	पिछडे वर्ग के निर्धन छात्रों को प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये छात्रवृत्ति एवं देय तर्दथ अनुदान की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।	650.00	-	वित्तीय वर्ष में इस योजनान्तर्गत 64000 छात्रों को लाभान्वित किया जायेगा।	शैक्षणिक सत्र	छात्रों को प्राथमिक शिक्षा देकर उनका शैक्षिक विकास किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में 20 प्रतिशत अधिक छात्रों को लाभान्वित किया जा सकेगा।	शैक्षणिक सत्र
8.	अति पिछडा वर्ग कल्याण परिषद का गठन	पिछडे वर्गों के कल्याणार्थ आयोग की स्थापना।	13.50	-	आयोग में नामित उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षों के मानदेय तथा कर्मचारियों का वेतन भुगतान।	वित्तीय वर्ष	पिछडे वर्ग के समस्याओं का निराकरण किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
9.	गोरखा कल्याण परिषद	गोरखा जाति के कल्याण हेतु परिषद की स्थापना	5.00	-	परिषद में नामित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के मानदेय तथा अन्य भत्तों का भुगतान।	वित्तीय वर्ष	गोरखा जाति के कल्याण कर उनका उत्थान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
10.	शहीद ऊधमसिंह कम्बोज छात्रवृत्ति हेतु कारपस फण्ड की स्थापना	कम्बोज जाति के पिछडे वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।	5.00	-	कारपस फण्ड से 5 छात्रों को आर्थिक सहायता दी जायेगी।	वित्तीय वर्ष	छात्र आर्थिक सहायता प्राप्त कर उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे।	वित्तीय वर्ष
11.	बाबा साहेब फूले योजना	निर्धन वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।	5.00	-	अर्जित ब्याज से 5 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।	वित्तीय वर्ष	निर्धन वर्ग के छात्र आर्थिक सहायता से उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे।	वित्तीय वर्ष
12.	राजा सुहेलदेव छात्रवृत्ति योजना हेतु कारपस फण्ड की स्थापना	पिछडी जाति के निर्धन वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।	5.00	-	अर्जित ब्याज से 5 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।	वित्तीय वर्ष	छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।	वित्तीय वर्ष
13.	कश्मीरी विस्थापितों का पुर्नवासन	कश्मीर से आये विस्थापित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	5.81	-	विस्थापित 43 परिवारों को पेंशन दी जायेगी।	मासिक	आर्थिक सहायता से उनका भरण पोषण हो सकेगा।	मासिक
14.	विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये आश्रित कर्मशालायें व प्रशिक्षण केन्द्र	दिव्यांगों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।	105.91	-	वर्ष 2017-18 में 150 दिव्यांगों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।	वित्तीय वर्ष	दिव्यांग व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार से अपना भरण पोषण कर सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में 25 प्रतिशत अधिक दिव्यांगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत				
15.	दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना	दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य पुरस्कृत कर प्रोत्साहन देना।	7.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 40 दक्ष विकलांग कर्मचारियों को पुरस्कृत किये जाने का लक्ष्य है।	प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में	पुरस्कृत कर्मचारियों की कार्यक्षमता में बृद्धि होगी एवं उनका मनोबल बढ़ेगा।	प्रत्येक वर्ष
16.	विकलांग युवक युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन	विवाहित दिव्यांग युवक/युवतियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु पुरस्कृत किया जायेगा।	20.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 40 दिव्यांग दम्पतियों को पुरस्कृत किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	दिव्यांग व्यक्ति प्रोत्साहित होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।	वित्तीय वर्ष
17.	विकलांगों हेतु शिविर एवं सेमीनारों का आयोजन	दिव्यांग व्यक्तियों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुँचाना	1.50	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 10 शिविर आयोजित किये जायेंगे।	वित्तीय वर्ष	सभी पात्र दिव्यांग योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।	वित्तीय वर्ष
18.	विकलांग छात्रवृत्ति योजना	दिव्यांगों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराना	40.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2500 विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	दिव्यांग छात्र प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।	वित्तीय वर्ष
19.	विकलांगजन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम	अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अधिष्ठान की स्थापना	19.37	—	अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान।	वित्तीय वर्ष	अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार दिव्यांगों को लाभान्वित किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
20.	विकलांगों के लिये जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	दिव्यांग व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर स्वतःरोजगार करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।	20.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 50 विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है।	वित्तीय वर्ष	दिव्यांग प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार प्राप्त करेंगे।	वित्तीय वर्ष
21.	प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना	दिव्यांगों हेतु रैम्प का निर्माण कर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना	50.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में सभी जनपदों में एक शासकीय भवन में रैम्प का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	वित्तीय वर्ष	निर्मित रैम्पों से दिव्यांगों को आने-जाने की सुविधा उपलब्ध होगी।	वित्तीय वर्ष
22.	निःशुल्क जनों के द्वारा राज्य परिवहन निगम की बसों में की गयी निःशुल्क यात्रा की प्रतिपूर्ति	दिव्यांगों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना	100.00	—	वर्ष 2017-18 में 300000 दिव्यांगों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।	वित्तीय वर्ष	उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
23.	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र अनुदान	दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र क़य करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	44.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1000 विकलांगजनों को कृत्रिम अंग क़य करने हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।	वित्तीय वर्ष	दिव्यांग व्यक्ति आर्थिक सहायता प्राप्त कर सहायक यंत्र क़य करेंगे जिससे उनको सुविधा हो सके। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 10 प्रतिशत अधिक दिव्यांगों को लाभान्वित किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
24.	नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के भरण पोषण हेतु अनुदान	निर्धन दिव्यांगों को उनके भरण पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध किया जायेगा।	7250.01	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 74000 विकलांगजनों को पेंशन देकर लाभान्वित करने का लक्ष्य है।	वित्तीय वर्ष	दिव्यांगों के आर्थिक स्तर में सुधार होगा जिससे वे आत्मनिर्भर होंगे। वित्तीय वर्ष 2016-17 के सोपक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में 10 प्रतिशत अधिक दिव्यांगों को पेंशन देकर लाभान्वित किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
25.	परीवीक्षा सेवा क्षेत्र अधिष्ठान	प्रोबेशन सेक्टर के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं के अनुश्रवण एवं क्रियान्वन हेतु अधिष्ठान की स्थापना	57.93	—	प्रोबेशन सेक्टर के अन्तर्गत कार्यरत 7 अधिकारीयों एवं 35 कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि का भुगतान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	अनुश्रवण से संस्थाओं में निवासरत संवासियों की उचित देखभाल की जाकेगी।	वित्तीय वर्ष
25.	बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना	बालकों के संरक्षण हेतु अधिष्ठान की स्थापना	41.22	—	कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं बोर्ड हेतु नामित सदस्यों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	बालकों का संरक्षण प्रदान कर उनको समाज की मुख्यधारा से जोडा जा सकेगा।	वित्तीय वर्ष
26.	संस्थानों/गृहों का संचालन	संस्थाओं के संचालन हेतु अधिष्ठान की स्थापना	734.50	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1310 संवासियों को आश्रय प्रदान किया जा सकेगा।	वित्तीय वर्ष	संस्थाओं में निवासरत संवासियों एवं बालकों को संरक्षण प्रदान कर उनका समुचित विकास किया जायेगा एवं संवासियों को पुर्नवासित कर समाज की मुख्यधारा जोडा जायेगा जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर सम्मानपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकें।	वित्तीय वर्ष
27.	स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृहों का संचालन	स्ट्रीट चिल्ड्रन के उत्थान हेतु गृह का संचालन कर रही है संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना	20.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4 संस्थाओं को अनुदान दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।	वित्तीय वर्ष	स्ट्रीट चिल्ड्रन को संरक्षण पदान किया जायेगा जिससे वे समाज में अपना योगदान दे सकें।	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
28.	किशोर न्याय निधि की स्थापना	किशोरों को संरक्षण दिया जायेगा।	20.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 25 किशोरों को आर्थिक संरक्षण दिये जाने का लक्ष्य है।	वित्तीय वर्ष	निराश्रित किशोरों को आर्थिक संरक्षण प्रदान किया जायेगा। जिससे उनका समुचित विकास होगा।	वित्तीय वर्ष
29.	महिलाओं के मूल्यांकन की योजना	घरेलु उत्पादन करने वाली महिलाओं का मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण करने हेतु अधिष्ठान की स्थापना	10.30	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 25 महिलाओं को चिन्हित करने का लक्ष्य रखा गया है।	वित्तीय वर्ष	महिलाओं को नये व्यवसायिक उत्पादों की जानकारी होगी जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।	वित्तीय वर्ष
30.	अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अधीन उद्धार संगठनों की स्थापना।	अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अधीन महिलाओं के उद्धार हेतु अधिष्ठान की स्थापना	5.60	—	कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान।	वित्तीय वर्ष	महिलाओं की काउंसलिंग कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जायेगा।	वित्तीय वर्ष
31.	मानसिक रूप से विक्रिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन	मानसिक रूप से विक्रिप्त महिलाओं को आश्रय एवं समुचित देखभाल किये जाने हेतु अधिष्ठान की स्थापना	89.31	—	कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्ते आदि पर धनराशि व्यय की जायेगी।	वित्तीय वर्ष	विक्रिप्त महिलाओं का समुचित इलाज किया जायेगा जिससे वे सामान्य जीवन निर्वाह कर सकें।	वित्तीय वर्ष
32.	निराश्रित विधवाओं को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान	निराश्रित विधवाओं को उनके भरण पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	13400.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 152000 निराश्रित विधवाओं को उनके भरण पोषण हेतु पेंशन देकर लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।	वित्तीय वर्ष	निराश्रित विधवायें आत्मनिर्भर होकर अपना भरण पोषण कर सकेंगी वित्तीय वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5 प्रतिशत अधिक विधवाओं को पेंशन देकर लाभान्वित किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं.	योजना का ना	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
33.	विभागीय संस्थाओं से मुक्त अर्न्तवासियों का पुर्नवासन	संस्थाओं में निवासरत संवासियों को पुर्नवासित करना	20.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रोबेशन सेक्टर के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं में निवासरत 25 संवासियों का पुर्नवासन किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	संवासियों को पुर्नवासित कर समाज की मुख्यधारा से जोडा जायेगा जिससे वे आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सकेंगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में 20 प्रतिशत अधिक संवासियों को पुर्नवासित करने का लक्ष्य है।	वित्तीय वर्ष
34.	महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति	बी0पी0एल0 परिवार की महिलाओं तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान कर प्रोत्साहित करना	5.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में सामान्य जाति की बी0पी0एल0 परिवारों की 50 महिलाओं को व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है।	वित्तीय वर्ष	महिलार्ये तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर उचित रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनेगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में 10 प्रतिशत अधिक महिलाओं को छात्रवृत्ति देकर लाभान्वित किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
35.	परिवीक्षा क्षेत्र मुख्यालय का अधिष्ठान	महिला कल्याण हेतु संचालित संस्थाओं का अनुश्रवण, कियान्वयन एवं संचालन हेतु अधिष्ठान की स्थापना	57.93	—	अधिष्ठान में कार्यरत 2 अधिकारियों एवं 5 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के भुगतान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	संस्थाओं का अनुश्रवण किये जाने से संस्थाओं में निवासरत संवासियों को की समुचित देखभाल होगी जिससे उनको पुर्नवासित किया जा सकेगा।	वित्तीय वर्ष
36.	निराश्रित परित्यक्त, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी के भरण पोषण हेतु अनुदान	निराश्रित परित्यक्त, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी के भरण पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता करना	250.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2700 महिलाओं को पेंशन देकर लाभान्वित किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	पेंशन प्राप्त कर महिलायें अपना भरण पोषण कर सकेंगी।	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क.सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
37.	निराश्रित परित्यक्त महिलाओं को उनकी पुत्रीयों की शादी हेतु अनुदान	निराश्रित परित्यक्त महिलाओं को उनकी पुत्रीयों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना	40.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 80 निराश्रित महिलाओं को उनकी पुत्रीयों की शादी हेतु अनुदान दिया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	निराश्रित परित्यक्त महिलायें आर्थिक सहायता प्राप्त कर अपनी पुत्रीयों की शादी कर सकेंगी।	वित्तीय वर्ष
38.	वृद्ध अशक्त व्यक्तियों के लिये आवास गृह	निराश्रित वृद्धजनों को आश्रय उपलब्ध कराना	30.84	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में आश्रय गृहों में 100 वृद्धों को आवासीय एवं भोजन, वस्त्र आदि की सुविधा उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है।	वित्तीय वर्ष	निराश्रित वृद्धजनों को आवास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। जिससे पिछले वर्ष की अपेक्षा 25 प्रतिशत अधिक वृद्धों को आश्रय दिये जाने का लक्ष्य है।	वित्तीय वर्ष
39.	भिक्षावृत्ति का निवारण	भिक्षावृत्ति के निवारण हेतु अधिष्ठान की स्थापना	69.22	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 200 भिक्षुकों को आवासीय एवं भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।	वित्तीय वर्ष	भिक्षुक गृह में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान एवं निवासरत भिक्षुकों के वस्त्र आदि एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।	वित्तीय वर्ष
40.	मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान	22.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में दो शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भत्ते आदि के भुगतान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति की निर्धन गरीब छात्र रोजगार प्राप्त कर सकेंगे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।	वित्तीय वर्ष
41.	अनाथों के दाह-दफन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान	विभाग द्वारा लावारिस शवों के दाह-दफन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता	10.00	—	स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता दी जायेगी।	वित्तीय वर्ष	विभाग द्वारा लावारिस शवों के दाह-दफन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता दी जायेगी।	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
42.	मनसिक रूप से विकसित व्यक्तियों/महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना	विभाग द्वारा ऐसी स्वैच्छिक संस्था जो मानसिक रूप से विकसित व्यक्तियों/महिलाओं को आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करा रही है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना	20.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में एक संस्था को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।	वित्तीय वर्ष	विभाग द्वारा ऐसी स्वैच्छिक संस्था जो मानसिक रूप से विकसित व्यक्तियों/महिलाओं को आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।	वित्तीय वर्ष
43.	निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान	निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना	200.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 400 निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।	वित्तीय वर्ष
44.	अन्तर्जातीय /अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु अनुदान	समाज में समरसता लाने हेतु अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन देना	13.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 52 दम्पतियों को पुरस्कृत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।	वित्तीय वर्ष	अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक विवाह को प्रोत्साहित कर समाज में समरसता एवं एकता स्थापित की जा सकेगी।	वित्तीय वर्ष
45.	विकलांग बेरोजगारों को कौशल बृद्धि प्रशिक्षण योजना	विकलांग बेरोजगार व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना	5.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 20 विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	विकलांग बेरोजगार व्यक्ति व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार द्वारा आत्मनिर्भर होंगे।	वित्तीय वर्ष
46.	योजनाओं का मूल्यांकन प्रचार-प्रसार	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध कराना	10.00	—	विभागीय योजनाओं का विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जायेगा	वित्तीय वर्ष	विभागीय योजनाओं की जानकारी जन सामान्य तक पहुँचायी जायेगी सभी पात्र व्यक्ति योजना से लाभान्वित हो सकें।	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
1	2		3		4	5	6	7
47.	वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्धजन कल्याण समिति	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का अनुश्रवण करने हेतु समिति का गठन	1.00	—	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेगी।	वित्तीय वर्ष	समिति की रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ नागरिक को समुचित लाभ प्रदान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
48.	समाज कल्याण अनुश्रवण समिति	समिति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगी	10.00	—	समिति विभाग द्वारा संचालित पर अपने सुझाव एवं सलाह की रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेगी।	वित्तीय वर्ष	समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार विभागीय योजनाओं में आवश्यक सुधार किया जायेगा जिससे पात्र व्यक्ति को अधिकतम लाभ होगा।	वित्तीय वर्ष
49.	भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम का क्रियान्वयन	भिक्षावृत्ति जैसी कुप्रथा को समाप्त करना	1.00	—	अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार भिक्षावृत्ति जैसी कुप्रथा को समाप्त किया जा सकेगा।	वित्तीय वर्ष	अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार भिक्षुकों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जायेगा।	वित्तीय वर्ष
50.	मा10 मुख्यमंत्री जी सलाहकार समिति (समाज कल्याण)	समिति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का अनुश्रवण करेगी	20.51	—	समिति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का अनुश्रवण एवं समीक्षा करेगी।	वित्तीय वर्ष	समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किये जाने हेतु आवश्यक सुधार किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
51.	समाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन	निराश्रित वृद्धजनों को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	43740.50	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 515000 पेंशनरों को पेंशन दिये जाने का लक्ष्य है।	वित्तीय वर्ष	पेंशन से वृद्धजनों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जिससे उनका भरण पोषण हो सकेगा वित्तीय वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में 15 प्रतिशत अधिक वृद्धों को पेंशन देकर लाभान्वित किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क.सं.	उद्देश्य	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
52.	किसान पेंशन योजना	ऐसे निर्धन किसान जो स्वयं की भूमि पर खेती कर रहे हैं उनकी पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	535.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 22000 निर्धन किसानों को पेंशन देकर लाभान्वित करने का लक्ष्य है।	वित्तीय वर्ष	निर्धन किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जिससे वे कृषि कार्य को करने हेतु प्रोत्साहित होंगे। वित्तीय वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5 प्रतिशत अधिक किसानों को पेंशन देकर लाभान्वित किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
53.	पर्वतीय क्षेत्रों में 60 वर्ष से ऊपर के निवासरत पुरोहितों को पेंशन	पुरोहिती का कार्य कर रहे पुरोहितों को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	10.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 83 पुरोहितों को पेंशन देकर लाभान्वित करने का लक्ष्य है।	वित्तीय वर्ष	पुरोहित जो वृद्ध होने के कारण पुरोहित का कार्य करने में असमर्थ है वे पेंशन से अपना भरण पोषण कर पायेंगे।	वित्तीय वर्ष
54.	डंगरियों एवं जगरियों को मासिक पेंशन	डंगरियों एवं जगरियों को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	300.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2500 पात्र व्यक्तियों को पेंशन देकर लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।	वित्तीय वर्ष	पेंशन से डंगरियों एवं जगरियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जिससे वे अपना भरण पोषण कर सकेंगे।	वित्तीय वर्ष
55.	गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों के लिये जनश्री बीमा योजना	बी0पी0एल0 परिवारों का बीमा कराकर सुरक्षा प्रदान करना	510.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 668568 बी0पी0एल0परिवारों के प्रिमियम की धनराशि का भुगतान करने का लक्ष्य है।	वित्तीय वर्ष	बी0पी0एल0परिवारों को उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान होगी।	वित्तीय वर्ष
56.	पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु अंशपूजी	निगम की अधिकृत अंशपूजी की पूर्ति हेतु	—	20.00	निगम को उसकी अधिकृत अंशपूजी पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि का प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव है।	वित्तीय वर्ष	निगम की अधिकृत अंशपूजी से पिछड़ी जाति के निर्धन वयक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सकेगी।	वित्तीय वर्ष
57.	स्ट्रीट चिन्डन हेतु गृह का निर्माण	स्ट्रीट चिन्डन को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु	—	100.00	स्ट्रीट चिन्डन को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	वित्तीय वर्ष	प्राविधानित धनराशि से हरिद्वार एवं देहरादून में स्ट्रीट चिन्डन को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भवन का निर्माण किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
58.	10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्य स्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण	किशोरों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा	—	5.00	किशोरों हेतु आश्रय गृह का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	वित्तीय वर्ष	छेहरादून में किशोरों हेतु आश्रय गृह का निर्माण किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
59.	किशोर न्याय बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत ग्रहों का निर्माण	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह का निर्माण कर बालकों को आवासीय सुविधा प्रदान की जायेगी।	—	40.00	ऊधमसिंहनगर के निर्माणाधीन कार्य को पूर्ण करने हेतु धनराशि प्रस्तावित की गयी है।	वित्तीय वर्ष	प्राविधानित धनराशि से राजकीय सम्प्रेक्षण गृह ऊधमसिंहनगर के निर्माणाधीन कार्य को पूर्ण किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
60.	18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/ महिलाओं हेतु राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण	बालिकाओं को आश्रय दिये जाने हेतु उत्तर रक्षा गृह का निर्माण	—	50.00	बालिकाओं को आश्रय दिये जाने हेतु उत्तर रक्षा गृह का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	वित्तीय वर्ष	प्राविधानित धनराशि से देहरादून में निराश्रित बालिकाओं को आश्रय दिये जाने हेतु भवन का निर्माण किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
61.	समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अनुश्रवण हेतु बोर्ड की स्थापना	20.00	—	बोर्ड को संचालित किये जाने के लिये आवश्यक व्ययों के भुगतान हेतु धनराशि प्रस्तावित की गयी है।	वित्तीय वर्ष	प्राविधानित धनराशि से बोर्ड को संचालित किये जाने के लिये आवश्यक व्ययों का भुगतान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
62.	अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग की स्थापना	अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं के अनुश्रवण तथा समस्याओं के निराकरण हेतु आयोग की स्थापना	56.99	—	आयोग में कार्यरत मा0अध्यक्ष,उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को देय भत्तों एवं कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के भुगतान हेतु धनराशि प्रस्तावित की गयी है।	वित्तीय वर्ष	आयोग द्वारा अनुसूचित जाति की समस्याओं का निराकरण किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
63.	औद्योगिक आस्थान की स्थापना	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना	10.02	—	अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति के प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्वतः रोजगाकर हेतु 25 दुकानें व 1 कैंटीन आवंटित की गयी है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क.स.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
64.	अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति	दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	1700.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले 15500 छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता का भुगतान कर लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।	शैक्षणिक सत्र	छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता प्राप्त होगी जिससे वे रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।	शैक्षणिक सत्र
65.	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	अनुसूचित जाति के छात्रों को व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	289.63	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न कोर्सों में 456 छात्रों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है।	शैक्षणिक सत्र	अनुसूचित जाति के छात्रों को विभिन्न ट्रेडों में व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वित्तीय वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में 50 प्रतिशत अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया जायेगा।	शैक्षणिक सत्र
66.	आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन	अनुसूचित जाति के निर्धन गरीब परिवारों के बालकों को निःशुल्क आवासीय, भोजन एवं वस्त्र आदि की सुविधा उपलब्ध कराकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।	416.57	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 620 बालकों को शिक्षित किये जाने का लक्ष्य है।	शैक्षणिक सत्र	अनुसूचित जाति के निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी वित्तीय वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में 75 प्रतिशत अधिक बालकों को लाभान्वित किया जा सकेगा।	शैक्षणिक सत्र
67.	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व प्रशिक्षण योजना	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कौचिंग प्रदान करना	40.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 300 छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कौचिंग दिये जाने का लक्ष्य है।	शैक्षणिक सत्र	छात्रों द्वारा प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।	शैक्षणिक सत्र
68.	अनुसूचित जातियों के लिये छात्रावास	अनुसूचित जाति के छात्रों को निः शुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।	216.32	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 1130 छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाने का लक्ष्य है।	शैक्षणिक सत्र	निर्धन परिवारों के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।	शैक्षणिक सत्र

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
69.	अनुसूचित जाति कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति के छात्रों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करना	2000.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 275000 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर लाभान्वित करने का लक्ष्य है।	शैक्षणिक सत्र	छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर लाभान्वित किया जायेगा।	शैक्षणिक सत्र
70.	अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना	अनुसूचित जाति के छात्रों को अंग्रेजी पैटर्न की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना	109.05	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 100 छात्रों आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।	शैक्षणिक सत्र	अनुसूचित जाति के छात्रों को अंग्रेजी पैटर्न की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी जिससे उनका शैक्षिक स्तर अन्य अंग्रेजी पैटर्न के छात्रों के समान	शैक्षणिक सत्र
71.	पुस्तकालयों, पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार	स्वैच्छिक सस्थायें जिनके द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षित किया जा रहा है को अनुदान दिया जायेगा।	80.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 10 संस्थाओं को अनुदान दिये जाने का लक्ष्य है।	शैक्षणिक सत्र	छात्रों प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध होगी।	शैक्षणिक सत्र
72.	अनुसूचित जातियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना।	40.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 100 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य है।	वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा जिससे उनके आर्थिक स्तर पर सुधार लाया जा सकेगा।	वित्तीय वर्ष
73.	शिल्पी ग्राम योजना	परम्परागत शिल्पियों को ऋण प्रदान कर स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता पहुँचाना	25.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 10 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।	वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति के प्रशिक्षित व्यक्तियों को शिल्प ग्राम में रोजगार करने हेतु दुकान उपलब्ध कराकर रोजगार हेतु ऋण प्रदान किया जायेगा। जिससे अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के आर्थिक स्तर पर सुधार लाया जा सके।	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
74.	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1956 का क्रियान्वयन	अत्याचारों से उत्पीडित अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	39.00	—	अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।	वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति के परिवारों को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जायेगी।	वित्तीय वर्ष
75.	अनुसूचित जाति /जनजाति कल्याणार्थ संचालित सेमिनार,कार्यशाला,शोध प्रचार प्रसार	अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।	15.00	—	योजनाओं के बृहत प्रचार प्रसार हेतु पम्पलेट, बोर्ड एवं पुस्तक का प्रकाशन एवं विज्ञापन किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	पात्र सभी लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी होगी जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति योजना से लाभान्वित होंगे।	वित्तीय वर्ष
76.	अनुसूचित जातियों के लिये अटल आवास योजना	अनुसूचित जाति के आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना।	300.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 825 अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध हो सकेगा।	वित्तीय वर्ष
77.	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बीमारी तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों को उनकी पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	1500.00	—	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3000 परिवारों को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष	आर्थिक सहायता से परिवारों की सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में 75 प्रतिशत अधिक परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
78.	स्वरोजगार अंशपूजी	निगम को उसकी अधिकृत अंशपूजी पूर्ण करने हेतु धनराशि का उपलब्ध कराना।	—	30.00	निगम की अधिकृत अंशपूजी पूर्ण की जायेगी।	वित्तीय वर्ष	निगम को उसकी अधिकृत अंशपूजी पूर्ण करने हेतु धनराशि का उपलब्ध करायी जायेगी।	वित्तीय वर्ष
79.	अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओं हेतु प्रत्येक जनपद में आवासीय विद्यालय का निर्माण	अनुसूचित जाति के बालकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना	—	100.00	वित्तीय वर्ष 2017-18 में एक आवासीय भवन का निर्माण किया जायेगा	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर	प्राविधानित धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आर्दश आवासीय विद्यालय मक्खनपुर हरिद्वार का भवन निर्माण किया जायेगा।	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत				
80.	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाये उपलब्ध कराना	—	2000.00	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित 350 कार्य किये जाने प्रस्तावित है।	वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाये जैसे पेयजल, सडक विद्युत, सार्वजनिक भवन आदि निर्माण कार्य किया जायेगा जिससे इन क्षेत्रों का समुचित विकास होगा।	वित्तीय वर्ष
81.	मुंशी हरिप्रसाद टम्टा जी की स्मृति में बहुउद्देशीय शिल्प संस्थान का निर्माण	परम्परागत शिल्प में दक्ष अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बहुउद्देशीय शिल्प संस्थान का निर्माण किया जायेगा	—	100.00	वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्माण कार्य प्रस्तावित है।	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर	परम्परागत शिल्प में दक्ष अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर